

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री मेहरोत्रा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ब्लाक-ए-20 / 1, प्रथम तल, करामत
काम्पलेक्स, निशातगंज, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 097 / 10, 20.10.2010
दिनांक
प्रार्थी की ओर से श्री एस0 सी0 रस्तोगी, विद्वान अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मेहरोत्रा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ब्लाक-ए-20 / 1, प्रथम तल, करामत काम्पलेक्स, निशातगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 20.10.2010 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा पूछा गया है कि ब्लड बैग्स जो, Human blood & Blood Plasma के रख रखाव में प्रयोग किया जाता है, उस पर करदेयता क्या होगी ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री एस0 सी0 रस्तोगी, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क दाखिल किये गये । उनके द्वारा कहा गया कि वह भविष्य में ब्लड बैग्स का व्यवसाय करना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-79 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Medical equipment / devices & implants; I.B. Canula, Scalp Vanset, Surgical Blade, Blood collection tube; Contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sun goggles and sun glasses

ब्लड बैग्स मेडिकल डिवाइसेस की श्रेणी में आता है, इसी सन्दर्भ में Drugs Controller Of India का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया । साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Packing cases and packing materials including cork, cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, All types of ropes and strings, envelopes

Explanation:- planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.

इसमें सभी प्रकार के पैकिंग मैटेरियल वर्गीकृत हैं । ब्लड बैग्स का प्रयोग, ब्लड के सुरक्षित स्टोरेज में किया जाता है । उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ब्लड बैग्स पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि के अन्तर्गत, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया ।

सर्वश्री मेहरोत्रा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड / प्रा0 पत्र सं0-097 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ के पत्र संख्या-1635, दिनांक 13.02.2012 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि ब्लड बैग्स, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी अनुसूची में नहीं है। अतः इस पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत, 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित होगी।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-79 में Blood collection tube को सम्मिलित किया गया है, किन्तु ब्लड बैग्स सम्मिलित नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ब्लड बैग्स का प्रयोग, Blood एवं Plasma को सुरक्षित रखने एवं इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये जाने के लिए किया जाता है, इसे पैकिंग मैटेरियल माना जा सकता है। अतः ब्लड बैग्स, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 के अन्तर्गत माना जा सकता है।
5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि ब्लड बैग्स, पैकिंग मैटेरियल की भाँति प्रयोग होता है। अतः इस पर, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-90 के अन्तर्गत, 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।
6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।
7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

दिनांक 19 सितम्बर, 2013

ह0 / 19.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।